ग्राम पंचायत सुरपडा, विकास खण्ड भटियात , जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2021 से 03/2023

भाग-एक

1 **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग; को सौंपें जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सुरपडा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखों का अंकेक्षण कार्य राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान

क्रम संख्या	**पदाधिकारी का नाम**	**अवधि**
1.	श्रीमती रुमला देवी	01-04-2021 से 31-03-2023

सचिव

क्रम संख्या	**सचिव का नाम**	**अवधि**
1.	श्री सरनु राम	01-04-2021 से 31-03-2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत सुरपडा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 01-04-21 से 31-03-23 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र०स०	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	5	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	0.20
2	6.1	विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान का अवरोधन।	6.59
3	7.1	पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया की वसूली न करने बारे	0.04
4	8.2	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना X–फॉर्म के क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि।	1.24
5	8.3	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर की सम्भावित वित्तीय हानि बारे।	0.76
6	8.4	ठेकेदारों/संविदाकार से टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण सरकार को वित्तीय हानि बारे	0.05
7	9.1	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे	4.78
8	9.2	सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व् रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे	0.49
9	9.3	मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे।	1.23

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत सुरपडा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 01-04-21 से 31-03-23 के लेखों का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 31-03-2024 से 26-04-2024 तक ग्राम पंचायत सुरपडा के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2021-22	03/2022	02 /2022
2	2022-23	10/2022	05/2022

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु राज्य लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत सुरपडा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 (हि०प्र०) को शीघ्रअतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-GP SURPADA/10 दिनांक:-26-04-2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत सुरपडा से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत सुरपडा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(अ) स्वः-स्त्रोतों व अनुदान

ग्राम पंचायत सुरपडा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.23 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है।

1. स्वः-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	आय	योग	व्यय	अंतिम शेष
2021-22	372034	157682	529716	45458	484258
2022-23	484258	112246.36	596504.36	151560	444944.36

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	आय	योग	व्यय	अंतिम शेष
2021-22	3352059	6386630	9738689	7237559	2501130
2022-23	2501130	6195295	8696425	8080003	616422

कुल योग (1 + 2) = ₹444944.36+₹616422= ₹1061366.36

(ब) ग्राम पंचायत सुरपडा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि.प्र.)

दिनांक 31/03/2023 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	अनुदान का नाम	राशि 31-03-2023
1	19310103934	HPS Co-Op bank Tundi	SF/VMJS/BASP/ 3RD	360908

			STATE/VKVNY/ SDP/SBM/NDRF /SDRF/5TH SFC/MMRRRY/ MPLAD	
2	18010105633	HPS Co-Op bank Chowari	sf	2693
3	19310107696	HPS Co-Op bank Tundi	5th sfc	77470
4	19310103360	HPS Co-Op bank Tundi	14TH FC	0
5	19310108345,	HPS Co-Op bank Tundi	15TH FC	516563
6	19310107814	HPS Co-Op bank Tundi	RGSA	15006
7	19310105338,	HPS Co-Op bank Tundi	RAY/MMAY	106745
8	19310105737	HPS Co-Op bank Tundi	IAY	2533
		Cash In Hand		
			कुल योग	1081918

अन्तर (ब-अ) ₹1061366.36 -₹1081918= ₹ 20551.64

4.2 उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ बही व बैंक पासबुक में दिनांक 31-03-2023 को राशि ₹20551.64 का अन्तर **ग्राम पंचायत द्वारा मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण था।** जिसका मिलान अतिशीघ्र किया जाये।

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹0.20 लाख का अन्तर :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सुरपडा द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹78288.62 का अन्तर "**परिशिष्ट - 3** " अनुसार रोकड़बही में कम शेष के रूप में है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-GP SURPADA/11, दिनांक :-26-04-2024 द्वारा पंचायत सचिव को स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि "भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।"

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान ₹6.59 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 3** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2023 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹ **659797.00** की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करती है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-GP SURPADA/10, दिनांक :-26-04-2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सुरपडा के ध्यानार्थ लाया गया,

जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि "भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।"

अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के आदेशों की प्रति/पत्र अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध न करवाने बारे :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गए अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रतियाँ अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि, पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान किस उद्देश्य/कार्य विशेष हेतु प्राप्त किये गए हैं।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-GP SURPADA/11, दिनांक :-26-04-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत को अनुदान आदेशों की प्रति/पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप से अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अत: उक्त प्रकरण को विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.04 लाख की वसूली न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृहकर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सुरपडा के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व

गत बकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित **₹4190.00** की राशि वसूली हेतु शेष थी।

31-03-2023 को गृह कर बकाया राशि का विवरण :-

क्र० स०	वितीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति परिवार/	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया राशि
1.	2021-22	1540	256	50	12800	14340	12000	2340
2.	2022-23	2340	258	50	12900	15240	11050	4190

इस सम्बन्ध जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-GP SURPADA/03, दिनांक :-08-04-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क व विलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹ 2725/-की वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) तदोपरांत ₹400 (30 से 90 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹50 (30 से 90 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं वसूली गई फीस को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, **"परिशिष्ट – 4"** अनुसार उक्त पंचायत सचिव द्वारा वर्ष 2021-22,2022-23 के विवाह पंजीकरण रजिस्टर में विवाह पंजीकरण शुल्क की व विलम्ब शुल्क की वसूली की गई थी किन्तु सरकारी कोष में जमा नही करवाया गया था जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। पंचायत सचिव की लापरवाही के कारण सरकार को राशि ₹2725/- की वितीय हानि हुई तथा विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-GP SURPADA/04, दिनांक :-09-04-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली गई है तथा जिसे ज़मा कर दिया जायेगा।" अतः उपरोक्त राशि को सम्बन्धित सरकारी खाते/कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा इसके अतिरिक्त पूर्व में जमा विवाह शुल्क जोकि सभा निधि में है उसकी गणना करके उसे भी सम्बंधित खाते /कोष में जमा करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत सुरपडा के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-GP SURPADA/11, दिनांक :-26-04-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना X–फॉर्म के क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर पर राशि ₹1.24 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामाग्री के लिए ठेकेदार/आपूतिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र X-फार्म प्राप्त कर सम्बंधित पंचायत को देना अनिवार्य है। इसके अत्तिरिक्त उद्योग विभाग चम्बा के पत्र संख्या 902 दिनांक 18-02-2022 के अंतर्गत समस्त विकास खण्ड कार्यालयों को संशोधित मूल्य अनुसार रॉयल्टी काटने के आदेश जारी किये गए थे तथा इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा अखबार में प्रकाशित की गई निविदाओं में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनापति प्रमाण पत्र फॉर्म –M/X उपलब्ध न करवाने की दशा में अपेक्षित रॉयल्टी की कटौती हेतु कहा गया था।

परन्तु ग्राम पंचायत सुरपडा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से न तो कोई अन्नापति प्रमाण पत्र/X-फॉर्म लिया गया और न ही रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती की गई। जिससे कि, सरकार को राशि ₹114313.7 (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "5"** में दिया गया है।) की संभावित वित्तीय हानि हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-GP SURPADA/06, दिनांक :-26-04-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, उक्त क्रय सामग्री हेतु रॉयल्टी की कटौती समबन्धित संविदाकरों से करके एवं उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में X फॉर्म न होने की स्थिति में नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जायेगी एवं उसे समयबद्ध सरकारी कोष में भी जमा करवा दिया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव प्रतीत हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: इस अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्यवाही

करते हुए उक्त राजस्व को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्यवाही/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.76 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता का GST धारक होने की दशा में निविदाएं स्वीकृत की गई थी अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹1602296.00/- का भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "5"** में दिया गया है।) किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके सादे कागज़ पर कर दिया गया है तथा आपूर्तिकर्ता रेत, बजरी एवं पत्थर में इत्यादि का धारक न होकर अन्य वस्तुओं व सेवाओं हेतु पंजीकृत था इसके अतिरिक्त सरकार को देय कर के साक्ष्य/ चालान भी नही पाए गये जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹76300/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-GP SURPADA/06, दिनांक :-26-04-2024 के प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, GST कटौती बारे आपूर्तिकर्ताओं से स्पष्टीकरण लेकर यथाशीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर स्पष्ट एवं तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा रसीदों पर ही अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अत: उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के समबन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित

स्त्रोत से वसूली करके समबन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि ऐसे प्रकरणों की गहन जाँच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजानिक धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 ठेकेदारों/संविदाकार से टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹0.05 लाख की वित्तीय हानि बारे :-

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C) के अनुसार यदि कार्य को करने पर किसी ठेकेदार को एक वित्तीय वर्ष में ₹100000/- या अधिक की अदायगी अथवा एक बार में ₹30000/- या अधिक की अदायगी की जाती है ; तो भुगतानकर्ता/आहरण व संवितरण अधिकारी, ठेकेदार/संविदाकार के बिल पर आय स्त्रोत पर (TDS) व्यक्ति के दशा में 1% तथा फर्म के दशा में 2% आयकर के कटौती करेगा तथा के गई कटौती को सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाएगा। आय स्त्रोत पर की गई कटौती की राशि को आयकर विभाग के '**प्राप्ति शीर्ष**' में निर्धारित समयावधि में जमा किया जाना आवश्यक है अन्यथा दंडात्मक व्याज के प्रावधान लागू होंगे।

ग्राम पंचायत सुरपडा के अभिलेखों की नमूना/चयनित जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नविवरणनुसार विभिन्न संविदाकारों/फर्मों को कुल राशि **587408**/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय की राशि का स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जोकि आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अवहेलना है;इसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में राशि **₹5874.08** की वित्तीय हानि सम्बंधित कर्मचारी की लापरवाही के कारण हुई। इसके लिये संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाये ताकि भविष्य में इस प्रकार के गलती की पुनरावृत्ति न हो।

SR. No	Voucher No./Date	Name of Fund	Particular/ Detail Of Party	Discription of item	Amount	TDS Amount
1	09/05.04.21	VMJS	Prem Chand Govt cont. PO Garnota	JCB Work	49280	492.8
2	10/05.04.21	MMRRRY	Prem Chand Govt cont. PO Garnota	JCB Work	49280	492.8
3	11/05.04.21	MMRRRY	Prem Chand Govt cont. PO Garnota	JCB Work	49280	492.8

4	12/05.04.21	MMRRRY	Prem Chand Govt cont. PO Garnota	JCB Work	49280	492.8
5	21/13.05.22	BASP	Prem Chand Govt cont. PO Garnota	JCB Work	49280	492.8
6	22/13.05.22	BASP	Prem Chand Govt cont. PO Garnota	JCB Work	47040	470.4
7	23/13.05.22	BASP	Prem Chand Govt cont. PO Garnota	JCB Work	47040	470.4
8	24/13.05.22	BASP	Ankush kumar govt cont. po smote	JCB Work	49412	494.12
9	25/13.05.22	BASP	Ankush kumar govt cont. po smote	JCB Work	49412	494.12
10	45/19.05.22	BASP	Prem Chand Govt cont. PO Garnota	JCB Work	49280	492.8
11	66/15.07.22	BASP	Ankush kumar govt cont. po smote	JCB Work	49412	494.12
12	67/15.07.22	BASP	Ankush kumar govt cont. po smote	JCB Work	49412	494.12
					587408	**5874.08**

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/11 दिनांक 24-04-2023 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके प्रत्तुयुत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि भविष्य में नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती नियमित तौर पर की जायेगी।

अत: पंचायत द्वारा टी.डी.एस की कटौती न करना न केवल आयकर अधिनियम की अवहेलना है परन्तु सप्लाईर/ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी हानि है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माहों के ही भुगतानों को जाँचा गया है। शेष अवधि

में हुए ऐसे भुगतानों की जाँच करके अपेक्षित टी.डी.एस.की वसूली करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में टी.डी.एस. की कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में निर्धारित समयावधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.1 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹4.78 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹478799**/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, तथा इसके अतिरिक्त उक्त भुगतान प्रधान व् सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना किये गये जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND	PARTICULAR/ DETAIL OF PARTY	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT
1	09/10.05.22	15th fc	Himanshu s/o madan lal po samot	Stone	**4950**
2	10/10.05.22	15th fc	Himanshu s/o madan lal po samot	Stone	**4900**
3	46/23.03.23	15th fc	Himanshu s/o madan lal po samot	Stone	**4920**
4	82/13.08.21	Vmjs	M/s jaryal hardware store	Gi pipe	**48940**
5	206/2.02.22	Sf	Deval inforsys	Computer /printer repair	**7150**
6	207/9.02.22	Sdp	M/s d.k.b timber	Purchase of timber	**24998**

7	06/23.03.22	Mnrega	M/s mahinder singh po tundi	Tiles	**35000**
8	06/23.03.22	Mnrega	M/s mahinder singh po tundi	Timber	**36972**
9	06/23.03.22	Mnrega	M/s mahinder singh po tundi	Tiles	**45919**
10	06/23.03.22	Mnrega	M/s mahinder singh po tundi	Paver tiles	**48450**
11	06/23.03.22	Mnrega	M/s mahinder singh po tundi	Paver tiles	**48450**
12	06/23.03.22	Mnrega	M/s mahinder singh po tundi	Paver tiles	**48450**
13	06/23.03.22	Mnrega	M/s mahinder singh po tundi	Paver tiles	**48450**
14	06/23.03.22	Mnrega	M/s mahinder singh po tundi	Paver tiles	**22800**
15	06/23.03.22	Mnrega	M/s mahinder singh po tundi	Paver tiles	**48450**
				Total	**478799**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-GP SURPADA/05, दिनांक :-26-04-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव, ग्राम पंचायत सुरपडा के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

अत: इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना

सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.2 राशि ₹0.49 लाख के सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है, परिदान के समय, उसका यथास्थिति,परिक्षण, गणना,माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा। किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिशेष यदि कोई है; का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि ₹**49874**/-के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त की स्टॉक प्रविष्टी नही की गई थी

SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND	PARTICULAR/ DETAIL OF PARTY	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT
1	171/07.03.23	3rd state	M/s Jaryal Hardware store Main bazar tundi	Furnture purchase	49874
				Total	**49874**

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-GP SURPADA/09, दिनांक 26-04-2024 द्वारा, सचिव को अवगत करवाया गया। इस सम्बन्ध में सचिव के द्वारा कि भविष्य में उक्त अनियमितता को नही दोहराया जायेगा

अत: नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार क्रय किये गए सामान के स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं उक्त स्टॉक की प्रविष्टि करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.3 राशि ₹1.23 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

ग्राम पंचायत सुरपडा के लेखों की नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार कुल राशि **₹123882**/- का व्यय किया गया। जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. संकर्म समिति, सतकर्ता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे। जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों समितियों का होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

2. बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान कर दिया गया था जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था।

Muster Roll No	CB Page No /Date	Amount	Discription Of Item	Head	Name of Work
49128	36/03.03.23	17920	LABOUR PAYMENT	15TH FC	R/O BABDI AT CHAFDU
49129	37/03.03.23	31262	LABOUR PAYMENT	15TH FC	UPGRADATION WORK OF PANCHAYAT GHAR
31783	197/2.02.22	74700	LABOUR PAYMENT	3rd state	Completion of panchayat ghar
	Total	123882			

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-GP SURPADA/08, दिनांक :-26-04-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, ग्राम पंचायत सुरपडा के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्यवाही से अवगत करवा दिया जायेगा।" अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.4 सभा निधि से विभिन्न मदों हेतु प्राप्त राशि से अधिक राशि का व्यय करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न मदों हेतु जितनी अनुदान राशी प्राप्त हुई थी अथवा शेष थी उससे अधिक का भुगतान पारित किया गया था व सभी मदों का बैंक खाता सभा निधि में होने के कारण उक्त अधिक राशी का भुगतान सभा निधि से किया गया प्रतीत होता है जोकि उक्त सभा निधि पर वैध प्रभार नही है तथा जोकि पंचायती राज नियमों की अवहेलना है।

Sr.No	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	VMJS	255575	1250000	1505575	1530343	-24768
2	VKVNY	24613	0	24613	52330	-27717
3	BASP	854605	1020000	1874605	1886477	-11872
4	MMRRRY	43375	0	43375	43400	-25
5	NDRF	0	150000	150000	180970	-30970
6	SDRF	0	100000	100000	110650	-10650
					Total	-106002

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-GP SURPADA/11, दिनांक :-26-04-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, ग्राम पंचायत सुरपडा, के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्यवाही से अवगत करवा दिया जायेगा।" अत:

इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

अतः जिसकी प्रतिपूर्ति करके सम्बंधित निधि में जमा करवाकर अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

9.5 पंचायत द्वारा राशि ₹0.10 लाख साधारण बिलों /कागजों पर भुगतान पारित करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 46 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा किये जाने वाले खर्चों को मितव्ययिता के साथ किये जाने के नियम प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरण अनुसार भुगतान पारित किये गये जोकि बिना बिल /अथवा साधारण कागज़ पारित किये गये थे जिस कारण यह पता लगाया जाना मुश्किल था कि उक्त भुगतान वास्तविक रूप से किये गये थे अथवा नहीं जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा किया गया व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है

SR. No	Voucher No./CBP	Name of Fund	Particular/ Detail Of Party	Discription Of Item	Amount
1	09/10.05.22	15TH FC	Himanshu S/o madan lal po samot	Stone	4950
2	10/10.05.22	15TH FC	Himanshu S/o madan lal po samot	Stone	4900
					9850

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-GP SURPADA/11, दिनांक :-26-04-2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था। इसके प्रत्तुयुत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि इस अनियमितता को भविष्य में नही दोहराया जायेगा तथा उक्त राशी की वसूली कर ली जाएगी अतः उक्त किये गये भुगतान की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस तरह की अनियमितता को न दोहराया जाए ।

9.6 निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ट अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन,मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर पर किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय,खपत,सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-GP SURPADA/07, दिनांक :-26-04-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेख अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेगे। अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व् अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सुरपडा के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोकड़बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए है ओर न ही ऑनलाइन रोकड़बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जिससे कि पंचायत की वित्तीय स्थिति में अथशेष पंचायत द्वारा बनाई गई परीक्षा संतुलन सूची से लिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत

द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनिधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-GP SURPADA/11, दिनांक :-26-04-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि; भविष्य में रोकड़बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़बहियों को पंचायत अभिलेख में रख लिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में ₹0.87 लाख के अन्तर बारे :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत E-PANCHAYAT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेर में बनाये गए थे वह मैन्युअल रोकड़बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते फलस्वरूप दिनांक 31-03-2023 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों में निम्नविवरणानुसार राशि ₹**87295.92** का अन्तर पाया गया

31-03-2023 को PRYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों संधारित लेखों (रोकड़बही) में अन्तशेष

31-03-2023 को PRYASOFT में संधारित रोकड़बही का अन्तशेष	**₹ 1148662.28**
31-03-2023 को पंचायत द्वारा मेनुअल संधारित रोकड़बही का अन्तशेष	₹**1061366.36**
अन्तर	**87295.92**

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि: पंचायत सचिव द्वारा PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं जोकि उक्त नियमों के स्पष्ट अवहेलना है इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या-GP SURPADA/11, दिनांक :-26-04-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अन्तर का मिलान कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं है क्योंकि PRYA सॉफ्टवेयर में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है

अत: दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

10.3 पंचायत द्वारा ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट ,प्राप्ति एव भुगतान इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न अभिलेख जैसे ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट ,प्राप्ति एव भुगतान इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नही किये गये जिस कारण इस विभाग के ऑडिट कोड में वर्णित पंचायत के उक्त अभिलेखों को प्रमाणित नही क्या जा सका।

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-GP SURPADA/11, दिनांक :-26-04-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत सुरपडा द्वारा सूचित किया कि, पंचायत उक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नही होता है क्यूंकि उक्त अभिलेखों को वर्तमान में प्रस्तुत करना था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)	अपूर्ण
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं

6.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
7.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
8.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
9.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
10.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
11.	मनरेगा रजिस्टर	16 से 22	10.3.1 से 3.9	अपूर्ण
12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-GP SURPADA/11, दिनांक :-26-04-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि "भविष्य में विहित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।" अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत सुरपडा की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-GP SURPADA/11, दिनांक :-26-04-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की

संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. निष्कर्ष :- उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्यवाही न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजनिक धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा जा सके।

(हस्ताक्षर) 08/7/24
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

3232–3236 का०/08 JUL 2024

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल०ए०) एच (पंच) 15 (7) 153/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि०प्र०।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हि०प्र०।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत सुरपाड़ा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

08 JUL 2024

(हस्ताक्षर) 08/7/24
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का०/62

 ~~परिशिष्ट -~~ परिशिष्ट -1 पैरा संख्या 4(अ)(1) के संदर्भ में

Financial Position of Own Sources in r/o	" GP SURPARA " Dev. Block "BHATTIYAT" Distt Chamba H.P				
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	**372034**	**157682**	**529716**	**45458**	**484258**
2022-23	**484258**	**112246.36**	**596504.36**	**151560**	**444944.36**

Sect.
Gram Panchayat Surpara
Dev. Block Bhattiyat
Distt. Chamba (H.P.)

—98— परिशिष्ट - 2 पैरा संख्या 4 (आ)(2) के संदर्भ में

Financial Position of Grant in Aid in r/o GP SURPADA D.B Bhattiyat Tehsil Chowari Distt Chamba H.P					
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	3352059	6386630	9738689	7237559	2501130
2022-23	2544505	6195295	8739800	8080003	659797

2501130 8696425 616422

Sect.
Gram Panchayat Surpara
Dev. Block Bhattiyat
Distt. Chamba (H.P.)

— 19 — पैरा संख्या 5 के 6.1 के संदर्भ में
पैरा संख्या 4(अ)(2) के संदर्भ में

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
	Grant in aid in r/o Gram Panchayat	" GP SURPARA "	Dev. Block BHATTIYAT	Distt Chamba HP-176207	Year Ended	2021-22
1	5th. SFC					
2	VMJS	209481	273080	482561	397638	84923
3	VKVNY	376378	1400000	1776378	1520803	255575
5	BASP	33634	60000	93634	69021	24613
6	MP LAD	977774	240000	1217774	363169	854605
7	SDP	0	30000	30000	29891	109
8	SBM	0	800000	800000	415894	384106
9	3rd SFC..	0	200000	200000	153604	46396
10	15Th. Fin..	530465	500000	1030465	977252	53213
11	14th. Fin..	229510	406599	636109	0	636109
12	MMRRRY	232675	3198	235873	134812	101061
13	IAY	700000	0	700000	656625	43375
14	RGSA	2389	72	2461	0	2461
15	RAY/MMAY	59020	864	59884	45304	14580
16	MGNREGA	733	4	737	733	4
	Total	0	2472813	2472813	2472813	0
		3352059	6386630	9738689	7237559	2501130

	Grant in aid in r/o Gram Panchayat	" GP SURPARA "	Dev. Block Bhattiyat	Distt Chamba HP-176207	Year Ended	2022-23
1	5th. SFC					
2	VMJS	84923	381972	466895	434934	31961
3	VKVNY	255575	1250000	1505575	1530343	-24768
5	BASP	24613	0	24613	52330	-27717
6	MP LAD	854605	1020000	1874605	1886477	-11872
7	SDP	109	0	109	0	109
8	SBM	384106	0	384106	360632	23474
9	3rd SFC..	46396	0	46396	35196	11200
10	15Th. Fin..	53213	0	53213	38330	14883
11	14th. Fin..	636109	535498	1171607	655094	516513
12	MMRRRY	101061	3539	104600	104600	0
13	NDRF	43375	0	43375	43400	-25
14	SDRF	0	150000	150000	180970	-30970
15	IAY	0	100000	100000	110650	-10650
16	RGSA	2461	72	2533	0	2533
17	IAY/MMAY	14580	426	15006	0	15006
18	MGNREGA	4	106741	106745	0	106745
	Total	43375	2647047	2690422 (2647047)	2647047	43375
		2544505	6195295	8739800	8080003	659797
	Balance as Per Bank on 31.03.23				0	

	A/c No	Branch	Head	Amount
1	19310103934	HPS Co-Op bank Tundi	SF/VMJS/BASP/3RD STATE/VKVNY/SDP/SBM/NDRF/SDRF/5TH SFC/MMRRRY/MPLAD	
	18010105633	HPS Co-Op bank Chowari	sf	360908
2	19310107696	HPS Co-Op bank Tundi	5th sfc	2693
3	19310103360	HPS Co-Op bank Tundi	14TH FC	77470
4	19310108345,	HPS Co-Op bank Tundi	15TH FC	0
	19310107814	HPS Co-Op bank Tundi	RGSA	516563
	19310105338,	HPS Co-Op bank Tundi	RAY/MMAY	15006
	19310105737	HPS Co-Op bank Tundi	IAY	106745
		Cash In Hand		2533
	Total			0
				1081918

1	Cash Book Balance on 31.03.2023 (Own Source)			1081918
2	Cash Book Balance on 31.03.2023			
3	Cash Book Balance on 31.03.2023	5th. SFC		444944.36
4	Cash Book Balance on 31.03.2023	VMJS		31961
6	Cash Book Balance on 31.03.2023	VKVNY		-24768
7	Cash Book Balance on 31.03.2023	BASP		-27717
8	Cash Book Balance on 31.03.2023	MP LAD		-11872
	Cash Book Balance on 31.03.2023	SDP		109
	Cash Book Balance on 31.03.2023	SBM		23474
	Cash Book Balance on 31.03.2023	3rd SFC..		11200
	Cash Book Balance on 31.03.2023	15Th. Fin..		14883
	Cash Book Balance on 31.03.2023	14th. Fin..		516513
	Cash Book Balance on 31.03.2023	MMRRRY		0
	Cash Book Balance on 31.03.2023	NDRF		-25
	Cash Book Balance on 31.03.2023	SDRF		-30970
	Cash Book Balance on 31.03.2023	IAY		-10650
	Cash Book Balance on 31.03.2023	RGSA		2533
	Cash Book Balance on 31.03.2023	IAY/MMAY		15006
		MGNREGA		106745
		Total		0
	Note :-			1061366.36
			Diffrence	-20551.64

1. Opening Balance & Closing Balance Not Taken in General Manual Cash Book. So opening balances taken from Bank Pass book
2.Mnrega cash book not maintained so income and expenditure taken from mnrega financial position
3. Online cash books not present in audit

Sect.
Gram Panchayat Surpara
Dev. Block Bhattiyat
Distt. Chamba (H.P.)

कार्यालय पंचायत सामुदायिक केन्द्र सुरपडा
विकास खण्ड भट्टियात जिला चम्बा
(हि०प्र०)

विषय :- 01/04/2021 से 31/03/2023 तक पंजीकृत शादियों की सूची :---

क्रम संख्या	नाम व पूरा पता	विवाह की तारीख	पंजीकरण की तारीख	विवाह पंजीकरण की निर्धारित फीस	वसूली गई फीस	सरकारी कोष में जमा फीस
1	शाम लाल सुपुत्र अशोक कुमार गांव नाहनी	30-04-21	17-05-21	200	200	200
2	राकेश कुमार सुपुत्र फौजी राम गांव नालटू	26-04-21	24-05-21	25	25	25
3	आशा देवी सुपुत्री करनैल सिंह गांव कुई	30-04-21	28-05-21	25	25	25
4	काकू राम सुपुत्र सरन सिंह गांव गुमराहर	27-04-21	25-06-21	25	25	25
5	हिमांशु कौशल सुपुत्र मदन लाल गांव तला	05-06-21	28-06-21	200	200	200
6	रीता देवी सुपुत्री कृष्ण चन्द गांव सुरपडा	25-10-21	24-11-21	25	25	25
7	विशाल कुमारी सुपुत्री जरनैल सिंह गांव गलीड	11-11-21	29-11-21	25	25	25
8	सुरेश कुमार सुपुत्र उतम चन्द गांव कुई	21/11/21 /	16-12-21	200	200	200
9	पूजा देवी सुपुत्री माधो राम गांव सुरपडा	09-12-21	17-12-21	25	25	25
10	पूजा देवी सुपुत्री छोटा राम गांव कुई	20-11-21	17-12-21	25	25	25
11	किशोरी लाल सुपुत्र पृथी सिंह गांव तला	01-12-21	22-12-21	25	25	25
12	हरबन्स लाल सुपुत्र प्रकाश चन्द गांव सुरपडा	02-12-21	30-12-21	200	200	200
13	शाम लाल सुपुत्र घनिया राम गांव खोला	13-12-21	30-12-21	25	25	25
14	विपन कुमार सुपुत्र दौलत राम गांव कुई	13-12-21	31-12-21	25	25	25
15	नीलम देवी सुपुत्री माधो राम गांव कुई	12-12-21	20-01-22	25	25	25
16	रमेश चन्द सुपुत्र महिन्द्र सिंह गांव गुमराहर	12-12-21	28-01-22	25	25	25
17	अर्चना देवी सुपुत्री सुरेन्द्र कुमार गांव गलीड	21-11-21	28-01-22	25	25	25
18	सुनीता देवी सुपुत्री सरन सिंह गांव गुमराहर	04-02-22	17-02-22	25	25	25
19	आरती देवी सुपुत्री ठाकुर सिंह गांव खोला	20-02-22	02-03-22	25	25	25

20	विनय कुमार सुपुत्र लक्ष्मण सिंह गांव खोला	05-02-22	02-03-22	200	200	200
21	अनीता देवी सुपुत्री करनैल सिंह गांव तला	19-02-22	09-03-22	25	25	25
22	अनीता देवी सुपुत्री खेल सिंह गांव पदर	19-02-22	09-03-22	200	200	200
23	अर्पणा देवी सुपुत्री कर्म चन्द गांव कुई	13-04-22	23-04-22	200	200	200
24	राजेश कुमार सुपुत्र निक्कू राम गांव गुमराहर	10-05-22	23-05-22	25	25	25
25	सीटू राम सुपुत्र मौजी राम गांव गुमराहर	22-04-22	23-05-22	25	25	25
26	अनीता देवी सुपुत्री अशोक कुमार गांव मझोई	07-07-22	12-07-22	25	25	25
27	सुलेखा देवी सुपुत्री नारायण सिंह गांव खोला	20-06-22	22-07-22	25	25	25
28	बलवान सिंह सुपुत्र रोशन लाल गांव चफ़डू	21-07-22	28-07-22	200	200	200
29	अमित कौशल सुपुत्र भरत सिंह गांव नाहनी	27-09-22	11-10-22	200	200	200
30	पूजा देवी सुपुत्री चैन सिंह गांव मझोई	27-09-22	25-10-22	200	200	200
31	लक्की सुपुत्र पूर्ण चन्द गांव ठेहडा	27-09-22	27-10-22	25	25	25
32	उषा देवी सुपुत्री बहादुर सिंह गांव छतराहर	01-12-22	15-12-22	25	25	25
33	अनिल कुमार सुपुत्र चैन सिंह गांव खोला	03-12-22	30-12-22	25	25	25
34	यशपाल सुपुत्र प्रकाश चन्द गांव कुई	28-01-23	13-02-23	25	25	25
35	नरेश कुमार सुपुत्र खेल सिंह गांव नाहनी	06-02-23	16-02-23	25	25	25
36	अंजली देवी सुपुत्री दिनेश कुमार गांव खोला	16-02-23	01-03-23	25	25	25
37	रजनी देवी सुपुत्री जोगिन्द्र सिंह गांव खोला	17-02-23	06-03-23	25	25	25
38	विक्की राम सुपुत्र उतम चन्द गांव गुमराहर	21-02-23	13-03-23	25	25	25
39	अजय कुमार सुपुत्र कर्म चन्द गांव बेहरू	21-02-23	14-03-23	25	25	25
	कुल योग :----			**2725**	**2725**	**2725**

Jr. Auditor
H.P. State Audit Department
Audit Circ... ...amba

-82- पा(12)ठC - 5 पैरा संख्या 8.2 व 8.3 के संबंध में

GRAM PANCHAYAT "SURPARA" DEV. BLOCK BHATTIYAT, DISTT CHAMBA

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER FROM WHICH ROYALITY & GST NOT PAID/DEDUCTED AND PAYMENT MADE WITHOUT JOINT SIGN

01-04-2021 TO 31-03-2023

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/Bill DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. CFT/Nos	QTY. M3	QTY. TONNE	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT PAID	AMOUNT TO BE PAID	GST NOT DEPOSITE /PAID
1	M/S MAHINDER SINGH PO TUNDI	15TH FC	31/18.05.22	AGG		25.5	38.7	80	3099.4	45000.0	42857.1	214
2	M/S MAHINDER SINGH PO TUNDI	15th FC	32/18.05.22	AGG		4.5	6.9	80	551.0	8000.0	7619.0	38
3	M/S MAHINDER SINGH PO TUNDI	15th FC	33/18.05.22	SAND		8.5	13.8	80	1101.1	16500.0	15714.3	78
4	M/S MAHINDER SINGH PO TUNDI	15th FC	34/18.05.22	SAND		8.5	13.8	80	1101.1	16500.0	15714.3	785
5	M/S MAHINDER SINGH PO TUNDI	15th FC	45/24.03.23	SAND		4.5	7.2	80	579.9	7900.0	7523.8	376
6				AGG		7.9	12.1	80	964.3	13160.0	12533.3	626
7	M/S MAHINDER SINGH PO TUNDI	15th FC	50/24.03.23	SAND		2.7	4.3	80	345.0	4700.0	4476.2	223
8				AGG		0.8	1.3	80	103.3	1410.0	1342.9	67.
9	M/S MAHINDER SINGH PO TUNDI	15th FC	55/24.03.23	SAND		3.1	5.0	80	396.4	5400.0	5142.9	257.
10				AGG		0.8	1.2	80	99.9	1363.0	1298.1	64.
11	M/S Mahinder Singh PO Tundi	MMRRRY	13/05/04/21	Sand	900.0	25.5	41.3	60	2477.5	45000.0	42857.1	2142.
12	M/S Mahinder Singh PO Tundi	MMRRRY	14/05/04/21	Aggri.	900.0	25.5	38.7	60	2324.6	45000.0	42857.1	2142.9
13	M/S Mahinder Singh PO Tundi	MMRRRY	15/05/04/21	Sand	900.0	25.5	41.3	60	2477.5	45000.0	42857.1	2142.9
14	M/S Mahinder Singh PO Tundi	MMRRRY	16/05/04/21	Aggri.	900.0	25.5	38.7	60	2324.6	45000.0	42857.1	2142.9
15	M/S Mahinder Singh PO Tundi	VMJS	78/13/08/21	Sand	900.0	25.5	41.3	60	2477.5	47250.0	45000.0	2250.0
16	M/S Mahinder Singh PO Tundi	VMJS	79/13/08/21	Sand	900.0	25.5	41.3	60	2477.5	47250.0	45000.0	2250.0
17	M/S Mahinder Singh PO Tundi	VMJS	80/13/08/21	Sand	900.0	25.5	41.3	60	2477.5	44450.0	42333.3	2116.7
18	M/S Mahinder Singh PO Tundi	VMJS	81/13/08/21	Sand	900.0	25.5	41.3	60	2477.5	44450.0	42333.3	2116.7
19	Sanjay Kumar s/o Beli Ram P.O Samote	VMJS	86/13/08/21	Stone	490.0	4.9	11.0	60	661.5	4900.0	4666.7	233.3
20	Sanjay Kumar s/o Beli Ram P.O Samote	VMJS	93/13/08/21	Stone	490.0	13.9	31.2	60	1873.4	4900.0	4666.7	233.3
21	M/S Mahinder Singh PO Tundi	BASP	153/26/10/21	Sand	900.0	9.0	14.6	60	874.8	45000.0	42857.1	2142.9
22	M/S Mahinder Singh PO Tundi	BASP	154/26/10/21	Aggri.	900.0	25.5	38.7	60	2324.6	42300.0	40285.7	2014.3
23	M/S Mahinder Singh PO Tundi	BASP	153/26/10/21	Sand	600.0	17.0	27.5	60	1651.7	25200.0	24000.0	1200.0
24	M/S Mahinder Singh PO Tundi	BASP	154/26/10/21	Aggri.	600.0	17.0	25.8	60	1549.7	23940.0	22800.0	1140.0
25	M/S Mahinder Singh PO Tundi	SDP	209/09/02/22	Sand	400.0	11.3	18.4	60	1101.1	20000.0	19047.6	952.4
26	M/S Mahinder Singh PO Tundi	SDP	210/09/02/22	Aggri.	400.0	11.3	17.2	60	1033.1	18800.0	17904.8	895.2
7	M/S Mahinder Singh PO Tundi	SDP	212/09/02/22	Sand	400.0	11.3	18.4	60	1101.1	20000.0	19047.6	952.4
8	M/S Mahinder Singh PO Tundi	SDP	213/09/02/22	Aggri.	400.0	11.3	17.2	60	1033.1	18800.0	17904.8	895.2
9	M/S Mahinder Singh PO Tundi	3rd SFC	217/23/02/22	Aggri.	399.0	11.3	17.2	60	1030.6	18753.0	17860.0	893.0
0	Sudhanshu s/o Madan Lal P.O. Samote	SDP	230/02/03/22	Stone	490.0	4.9	11.0	80	882.0	4900.0	4666.7	233.3
1	Sudhanshu s/o Madan Lal P.O. Samote	SDP	231/02/03/22	Stone	490.0	4.9	11.0	80	882.0	4900.0	4666.7	233.3
2	Sudhanshu s/o Madan Lal P.O. Samote	SDP	232/02/03/22	Stone	490.0	4.9	11.0	80	882.0	4900.0	4666.7	233.3
	Sudhanshu s/o Madan Lal P.O. Samote	SDP	233/02/03/22	Stone	490.0	4.9	11.0	80	882.0	4900.0	4666.7	233.3
	Sudhanshu s/o Madan Lal P.O. Samote	SDP	234/02/03/22	Stone	40.0	0.4	0.9	80	72.0	400.0	381.0	19.0
	Sudhanshu s/o Madan Lal P.O. Samote	SDP	235/09/03/22	Stone	490.0	4.9	11.0	80	882.0	4900.0	4666.7	233.3
	Sudhanshu s/o Madan Lal P.O. Samote	SDP	236/09/03/22	Stone	490.0	4.9	11.0	80	882.0	4900.0	4666.7	233.3
	Sudhanshu s/o Madan Lal P.O. Samote	SDP	237/09/03/22	Stone	490.0	4.9	11.0	80	882.0	4900.0	4666.7	233.3
	Sudhanshu s/o Madan Lal P.O. Samote	SDP	238/09/03/22	Stone	490.0	4.9	11.0	80	882.0	4900.0	4666.7	233.3
	Sudhanshu s/o Madan Lal P.O. Samote	SDP	239/09/03/22	Stone	40.0	0.4	0.9	80	72.0	400.0	381.0	19.0
	M/S Mahinder Singh PO Tundi	BASP	11/13/04/22	Sand	300.0	8.5	13.8	80	1101.1	15000.0	14285.7	714.3
	M/S Mahinder Singh PO Tundi	BASP	12/13/04/22	Aggri.	750.0	21.2	32.3	80	2582.8	7050.0	6714.3	335.7

42	M/S Mahinder Singh PO Tundi	VMJS	14/13/04/22	Aggri.	900.0	25.5	38.7	80	3099.4	44415.0	42300.0	211
43	M/S Mahin'er Singh PO Tundi	BASP	38/19/05/22	Sand	900.0	25.5	41.3	80	3303.3	49500.0	47142.9	235
44	M/S Mahinder Singh PO Tundi	BASP	39/19/05/22	Aggri.	600.0	17.0	25.8	80	2066.3	30000.0	28571.4	142
45	Sanjay Kumar s/o Beli Ram P.O Samote	VMJS	75/25/07/22	Stone	490.0	4.9	11.0	80	882.0	4900.0	4666.7	233
46	Sanjay Kumar s/o Beli Ram P.O Samote	VMJS	76/25/07/22	Stone	490.0	4.9	11.0	80	882.0	4900.0	4666.7	233
47	Sanjay Kumar s/o Beli Ram P.O Samote	VMJS	77/25/07/22	Stone	490.0	4.9	11.0	80	882.0	4900.0	4666.7	233
48	M/S Mahinder Singh PO Tundi	VMJS	80/25/07/22	Sand	560.0	15.9	25.7	80	2055.4	28000.0	26666.7	1333.
49	M/S Mahinder Singh PO Tundi	VMJS	80/25/07/22	Aggri.	278.0	7.9	12.0	80	957.4	13060.0	12438.1	621.
50	M/S Mahinder Singh PO Tundi	VMJS	82/26/07/22	Sand	500.0	14.2	22.9	80	1835.2	26250.0	25000.0	1250.
51	M/S Mahinder Singh PO Tundi	5th. SFC	93/30/08/22	Sand	150.0	4.2	6.9	80	550.6	7500.0	7142.9	357.
52	M/S Mahinder Singh PO Tundi	5th. SFC	93/30/08/22	Aggri.	200.0	5.7	8.6	80	688.8	9400.0	8952.4	447.
53	M/S Mahinder Singh PO Tundi	VMJS	14323/01/23	Aggri.	600.0	17.0	25.8	80	2066.3	28200.0	26857.1	1342.9
54	M/S Mahinder Singh PO Tundi	VMJS	14323/01/23	Sand	300.0	8.5	13.8	80	1101.1	15000.0	14285.7	714.3
55	M/S Mahinder Singh PO Tundi	VMJS	145/23/01/23	Aggri.	200.0	5.7	8.6	80	688.8	9400.0	8952.4	447.6
56	M/S Mahinder Singh PO Tundi	VMJS	145/23/01/23	Sand	200.0	5.7	9.2	80	734.1	10000.0	9523.8	476.2
57	M/S Mahinder Singh PO Tundi	SDRF	148/23/01/23	Aggri.	200.0	5.7	8.6	80	688.8	9400.0	8952.4	447.6
58	M/S Mahinder Singh PO Tundi	NFD	150/23/01/23	Aggri.	600.0	17.0	25.8	80	2066.3	28200.0	26857.1	1342.9
59	M/S Mahinder Singh PO Tundi	NFD	150/23/01/23	Sand	300.0	8.5	13.8	80	1101.1	15000.0	14285.7	714.3
60	M/S Mahinder Singh PO Tundi	MGNREGA	R. No 05 23/03/22	Sand	500.0	14.2	22.9	80	1835.2	25000.0	23809.5	1190.5
61	M/S Mahinder Singh PO Tundi	MGNREGA	R. No 05 23/03/22	Aggri.	140.0	4.0	6.0	80	482.1	6300.0	6000.0	300.0
62	M/S Mahinder Singh PO Tundi	MGNREGA	R. No 05 23/03/22	Sand	700.0	19.8	32.1	80	2569.2	35000.0	33333.3	1666.7
3	M/S Mahinder Singh PO Tundi	MGNREGA	R. No 06 09/11/21	Aggri.	500.0	14.2	21.5	80	1721.9	24675.0	23500.0	1175.0
4	M/S Mahinder Singh PO Tundi	MGNREGA	R. No 06 09/11/21	Aggri.	900.0	25.5	38.7	80	3099.4	44415.0	42300.0	2115.0
5	M/S Mahinder Singh PO Tundi	MGNREGA	R. No 06 09/11/21	Aggri.	900.0	25.5	38.7	80	3099.4	44415.0	42300.0	2115.0
6	M/S Mahinder Singh PO Tundi	MGNREGA	R. No 06 09/11/21	Aggri.	900.0	25.5	38.7	80	3099.4	44415.0	42300.0	2115.0
7	M/S Mahinder Singh PO Tundi	MGNREGA	R. No 06 09/11/21	Aggri.	900.0	25.5	38.7	80	3099.4	44415.0	42300.0	2115.0
8	M/S Mahinder Singh PO Tundi	MGNREGA	R. No 06 09/11/21	Sand	500.0	14.2	22.9	80	1835.2	26250.0	25000.0	1250.0
	M/S Mahinder Singh PO Tundi	MGNREGA	R. No 06 09/11/21	Sand	900.0	25.5	41.3	80	3303.3	47250.0	45000.0	2250.0
	M/S Mahinder Singh PO Tundi	MGNREGA	R. No 06 09/11/21	Sand	900.0	25.5	41.3	80	3303.3	47250.0	45000.0	2250.0
	Parval Singh s/o Gopi Ram P.O. Samote	MGNREGA	R. No 06 09/11/21	Stone	498.0	5.0	11.2	80	896.4	4980.0	4742.9	237.1
	Parval Singh s/o Gopi Ram P.O. Samote	MGNREGA	R. No 06 09/11/21	Stone	498.0	5.0	11.2	80	896.4	4980.0	4742.9	237.1
	Parval Singh s/o Gopi Ram P.O. Samote	MGNREGA	R. No 06 09/11/21	Stone	498.0	5.0	11.2	80	896.4	4980.0	4742.9	237.1
	Parval Singh s/o Gopi Ram P.O. Samote	MGNREGA	R. No 06 09/11/21	Stone	498.0	5.0	11.2	80	896.4	4980.0	4742.9	237.1
	M/S Mahinder Singh PO Tundi	MGNREGA	R. No 06 09/11/21	Sand	430.0	12.2	19.7	80	1578.2	22575.0	21500.0	1075.0
	M/S Mahinder Singh PO Tundi	MGNREGA	R. No 06 09/11/21	Aggri.	900.0	25.5	38.7	80	3099.4	44415.0	42300.0	2115.0
	Total			TOTAL					114333.7	1602296.0	1525996.2	76299.8

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs 80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**
   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3)
3. **B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne** — Common to all items Sand, Stone & Aggregate
   One Cubic Meter (M^3) Sand — 1.62
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate — 1.52
   One Cubic Meter (M^3) Stone — 2.24
4. All items Sand, Stone & Aggre. average weight are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not
6. Stone given in nos. and conversion factor is Total nos. of stone /100(means 100 stone equel to 1 cum
7. specification of aggrigate and sand is not given in bills

Takniki Sahayak
G.P. Surpara.

Secy.
Gram Panchayat Surpara
Dev. Block Bhattiyat
Distt. Chamba (H.P.)